



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
Office of the Chief Commissioner
सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र, विशाखापट्टणम - 530035
1st Floor, GST Bhavan, Port Area, Visakhapatnam - 530035



(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

email : ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं.11/2024 (अधीक्षक)
Establishment Order (G.O) No.11/2024 (SUPERINTENDENT)
दिनांक 14 अगस्त 2024 Dated 14 August 2024

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 07/2024 दिनांक 12.07.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, अधीक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेशित हैं: -

In partial modification to EO (GO) No. 07/2024 dated 12.07.2024, the following posting and transfer in the cadre of Superintendent of Central Tax is hereby ordered with immediate effect and until further orders: -

सं क्र Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री) Name of the Officer (Shri)	तैनाती / स्थानांतरण आदेशित स्थान Under orders of transfer / posting to	तैनात किया गया स्थान Posted To
1.	गुब्बला श्रीनिवास Gubbala Srinivas	विशाखापट्टणम सीजीएसटी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल के लिए Visakhapatnam CGST for Central Processing Cell	डी आर आई विशाखापट्टणम क्षेत्रीय इकाई (स्थानीय निदेशालयों में तैनाती के लिए निर्धारित ताकत के विरुद्ध ऋण आधार पर) DRI Visakhapatnam Regional Unit (on Loan against strength meant for posting to local Directorates)

2. स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं 07/2024 दिनांक 12.07.2024 में अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। All other terms and conditions in EO (GO) No. 07/2024 dated 12.07.2024 remain unaltered.

3. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.

4. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

5. यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

(एम. श्रीकान्त / M Sreekanth)

अपर आयुक्त / Additional Commissioner

[Issued from file GCCO/II/(3)/64/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM-Part(1)]
सेवा में / To

संबंधित अधिकारी को / The Individual officer

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम जीएसटी / हैदराबाद (सनिप्रा) ।

2. प्रधान अपर महानिदेशक, डी आर आई एच जेड यू ।

3. उप निदेशक, डी आर आई विशाखापट्टणम क्षेत्रीय इकाई ।

**AGT 2024 SUPERINTENDENTS
EO (GO) No.11/2024 dated 14.08.2024**

4. मु.ले. अधिकारी / आ सं अ विशाखपट्टणम सीजीएसटी आयुक्तालय।
5. वेतन एवं ले. अधिकारी, विशाखापट्टणम सीजीएसटी ।
6. सूचना पटल/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:

1. The Principal Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST / Hyderabad (CCA) Commissionerates.
2. The Pr ADG, DRI HZU.
3. The Deputy Director, DRI Visakhapatnam Regional Unit.
4. CAO / DDO Visakhapatnam CGST Commissionerate.
5. PAO of Visakhapatnam CGST.
6. Notice Board/website/Stock file.